File No. R-2-18/18.1/13/2022-XVIII-A-2-Revenue Department (Computer No. 24855)
I/35299/2022
I/35299/2022

संख्या– /XVIII(II)/2022

प्रेषक,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 13 मई, 2022**

विषयः–ग्राम सेला खोला की भूमि नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउण्ड (ठोस अपशिष्ट परियोजना) के निर्माण हेतु शहरी विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3643/सात–ट्रैचिंग ग्रा0भूमि प्रस्ताव/2022–23, दिनांक 16 अप्रैल, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका चम्पावत के ट्रेचिंग ग्राउण्ड (ठोस अपशिष्ट परियोजना) निर्माण हेतु ग्राम–सेलाखोला के गैर ज0वि0 खतौनी की श्रेणी–9(3)ग गौचर भूमि के ख0खा0 संख्या–05 ब0नं0–573 के खेत संख्या–1959 मध्ये 0.301 है0, खेत संख्या–2016 मध्ये 0.100 है0, खेत संख्या–2018 मध्ये 0.602 है0 कुल–रकबा 1.003 है0 (50 नाली) भूमि का चयन कर उक्त भूमि शहरी विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका चम्पावत के ट्रेचिंग ग्राउण्ड (ठोस अपशिष्ट परियोजना) निर्माण हेतु ग्राम–सेलाखोला के गैर ज0वि0 खतौनी की श्रेणी–9(3)ग गौचर भूमि के ख0खा0 संख्या–05 ब0नं0–573 के खेत संख्या–1959 मध्ये 0.301 है0, खेत संख्या–2016 मध्ये 0.100 है0, खेत संख्या–2018 मध्ये 0.602 है0 कुल–रकबा 1.003 है0 (50 नाली) भूमि लोक प्रयोजन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/ 2020–08(63)/ 2016, दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन शहरी विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाती है, तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 13/05/2022 04:38 PM

I/35299/2022

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/ (सी) संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 05 प्रतिशत बनाये रखना आवश्यक होगा।

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3– कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by Anand Srivastava
Date: 13-05-2022 16:08:10
(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या–800/XVIII(II)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3– निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Krishan Singh
Date: 13-05-2022 16:14:32
(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 13/05/2022 04:38 PM